

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 08/2022

बउनवान

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बारां जिला-बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री मोतीलाल शर्मा डीलर, ग्राम पंचायत बडगांव, ग्राम बालाखेडा, पंचायत समिति अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज.)

(अप्रार्थी)



प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :-1. श्री रूपचन्द्र सिंघावत अभिभाषक

(प्रार्थी)

आदेश दिनांक- 30.06.2023

1- प्रार्थी की ओर से जयें अभिभाषक जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत बडगांव पंचायत समिति अन्ता पर राष्ट्रीय पोषाहार सहायता पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 22.592 क्विंटल गेहूँ गबन किये जाने पर राशि 16289 /- रुपये वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र 1 प्रस्तुत करने पर दिनांक 19.12.2008 को प्रपत्र-2 धारा-4 के तहत जारी किया गया है।

2- प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमॉग वसूली अधिनियम-1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा-6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा-4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3- अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा अप्रार्थी की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के प्रकरण S.B. Civil Writ (Mise) petition No. 14107/2011 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2013 की छायाप्रति के साथ जवाब जयें डाक इस आशय का पेश हुआ कि "उक्त प्रकरण में न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 17.12.2013 को निर्णय पारित कर रखा है, जिसकी पालना में आपको पूर्व में भी फ़ैसले की कॉपी दे दी गयी है।"

4- जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में एकपक्षीय बहस अभिभाषक प्रार्थी की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया गया।

5- हमने एकपक्षीय बहस प्रार्थी प्रतिनिधि की सुनी। दौराने प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये विशेष अंकेक्षण में 22.592 क्विं. गेहूँ का गबन पाये जाने पर प्रार्थी के स्तर से कई बार नोटिस जारी



जिला कलक्टर
बारां (राज.)


किये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा राशि 16289/- रूपये जमा नहीं करवाने पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जावे।

6- हमने एकपक्षीय बहस प्रार्थी प्रतिनिधि पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पंचायत समितियों में संचालित राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम की नवम्बर 1995 से नवम्बर 1997 की अवधि की विशेष अंकेक्षण दल द्वारा की गई जांच में हेण्डलिंग एजेन्टों द्वारा प्रस्तुत प्राप्ति रसीदों से अप्रार्थी डीलर द्वारा प्रस्तुत पोषाहार कूपनों के आधार पर प्राप्त किये गये गेहू की मात्रा में से समायोजन पश्चात शेष गेहू की मात्रा के आधार पर वसूली योग्य राशि 16289/- रूपये निकाली गई है। अप्रार्थी की ओर से जर्ज डाक प्राप्त जवाब एवं राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के प्रकरण S.B. Civil Writ (Misc) petition No. 14107/2011 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2013 का अवलोकन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.12.2013 से अप्रार्थी को आदेश तिथि से 45 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति जिला कलक्टर को पेश करने के निर्देश दिये गये थे। अप्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में अथवा निर्धारित अवधि पश्चात भी कोई आपत्ति न्यायालय जिला कलक्टर में प्रस्तुत नहीं की है।

7- अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी मोतीलाल शर्मा डीलर, ग्राम पंचायत बडगांव, ग्राम बालाखेडा, पंचायत समिति अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 16289/-रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा-4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।




(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
बारां (राज०)